

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(5)नविवि/जैसलमेर (जैसलमेर)/2026-17077

जयपुर,दिनांक:यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर नगरीय क्षेत्र के ग्राम जैसलमेर के खसरा संख्या 791 रकबा 23.7684 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 792 रकबा 22.1828 हैक्टेयर कुल रकबा 45.9512 हैक्टेयर भूमि पर फार्म हाउस स्कीम योजना के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय किया गया है। इस योजना की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:-

1. उत्तर- खसरा संख्या 793/1169, 1176/793, 765, 766/1721 व 767
2. दक्षिण- खसरा संख्या 800, 801, 807 व 807/959
3. पूर्व-खसरा संख्या 790
4. पश्चिम- खसरा संख्या 794

उपरोक्त योजना के मौके का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्यदिवस में 3.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 45.9512 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 06 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जैसलमेर।
4. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
8. आयुक्त, नगर परिषद्, जैसलमेर।
9. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. सहायक निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

